

आम चुनाव (वर्ष 1967) के पश्चात् राजनीतिक दलों की स्थिति

मधु

जे० आर० एफ०, राजनीति विज्ञान, यू० जी० सी, नई दिल्ली, भारत

सारांश

भारत में सन् 1952 से 1967 तक कांग्रेस पार्टी का एकाधिकार स्थापित रहा। परन्तु 1967 से भारतीय राजनीति में ऐसा परिवर्तन आया कि भारतीय राजनीति का स्वरूप ही बदल गया लेकिन सन् 1967, 1977 और 1990 में दलीय स्थिति अपने थोड़े बहुत परिवर्तन के बाद अपने मूल रूप से आकर टिक गयी। सन् 1967 के चतुर्थ आम चुनाव में भारतीय संघ के लगभग आधे राज्यों के कांग्रेस ने अपना बहुमत खो दिया और विरोधी दलों आपसी गठजोड़ कर संविदा सरकारों की नींव रखी। गठजोड़ के राजनीति ने राज्यों ही नहीं बल्कि केंद्र में 1977 के लोकसभा चुनावों में भी अपना असर दिखाया और पहली बार केंद्र में गठजोड़ जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी। सन् 1977 में लोकसभा चुनाव से पूर्व अर्थात् 1967 के चतुर्थ आम चुनाव के बाद जब शेख अब्दुल्ला ने कई लोगों की उपस्थिति में लोकनायक जयप्रकाश से कहा कि 1967 के बाद की राजनीतिक स्थिति इतनी भयंकर हो गई तो सभी राजनीतिज्ञों को सोचने पर मजबूर कर दिया। शेख अब्दुल्ला जब जयप्रकाश नारायण से मिलने उनके आवास पर गये तो उन्होंने जयप्रकाश नारायण से भारतीय राजनीति में हुई बुराइयों को दूर कर उनसे राजनीति में आने की अपील की। शेख अब्दुल्ला की अपील पर जय प्रकाश नारायण ने कहा कि मैं राजनीति में फिर से आना नहीं चाहता पर यह सोच रहा हूँ कि किस प्रकार भारतीय जनता को राजनीति के ऐसे भँवर से कैसे निकाला जाए। जय प्रकाश नारायण ने कहा कि राजनीति के अन्धकार में नहीं जाना चाहता हूँ बल्कि उसके स्थान पर जनता के साथ उनके सुख-दुख में रहना चाहता हूँ। 1967 के बाद राजनीति में एक नया मोड़ आया छोटे-छोटे प्रादेशिक दलों ने भी राजनीति को प्रभावित करना शुरू किया। नेताओं ने खूब दल बदल किये। उत्तर-प्रदेश में 1967 से 1977 तक लगातार दल-बदल के कारण कांग्रेस ने सरकार का निर्माण किया तो कभी गैर-कांग्रेसी दल सत्ता रुढ़ हुई परन्तु कोई दल राज्य में स्थायी सरकार नहीं दे पाया।

मूल शब्द: कांग्रेस पार्टी, जयप्रकाश नारायण, प्रादेशिक दल और विरोधी दल

प्रस्तावना

सन् 1967 से 1977 तक के काल में अर्थात् 10 वर्षों में 10 सरकारों का गठन और उनका पतन हुआ। पाँच बार राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। सन् 1985 के विधानसभा चुनाव में दागदार राजनेताओं का पर्दापण हुआ और 35 दागदार राजनेता चुनाव जीतकर विधान सभा पहुँचे यह संख्या लगातार बढ़ती रही और यह लोकसभा में भी जा पहुँचे। राजनीति पार्टियों भी ऐसे लोगो को टिकट देने में कोई आनाकानी नहीं करते क्योंकि दागी एवं बाहुबल व भुजबल नेताओं की चुनाव जीतने में अधिक सम्भावना रहती है। तो दूसरी और अपराधी भी राजनीति में आकर ऐशों आराम से व्यतीत करते हैं। अगर इन बाहुबली नेताओं को कैद या सजा हो जाए तो उन्हें जेल में भी पंच सितारों होटलों की तरह ऐशों आराम से मिलता है। ऐसे तमाम बाहुबली नेता जिनके कृत्यों की सजा सारी उम्र कैद ही है वह राजनीति का संरक्षण पाकर खुले आम मौजमस्ती से घूमते हैं यदि बाहुबली नेता जेल भी जाए तो जेल इनके लिए किसी पंत सितारा होटल से कम नहीं होती आज शहाबुद्दीन जैसे अनेकों बाहुबली नेता दूसरो पर रौब जमाकर जेल में भी जेल प्रशासन व जेल को अपने इशारों पर नचाने से भी नहीं चूकते।

यह अपराधीकरण भ्रष्टाचार व माफियाँ करण राज्य सरकारों में ही नहीं बल्कि केंद्र में खूब फल-फूल रहा है। जहाँ 1967 तक केंद्र सरकार का राज्य सरकारों पर कठोर नियंत्रण रहा, इसका एक मात्र मूल कारण एक दलीय प्रभुत्व रहा है। आज राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण नगण्य रहा है। इसका मुख्य कारण गठबन्धन की राजनीति ही है। 1967 के काल से ही कई राज्यों एवं केंद्र में मतभेद शुरू हो गया। इनमें सिर्फ गैर-कांग्रेसी मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि प्रभावशाली कांग्रेस मुख्यमंत्री व कांग्रेस हाईकमान के लोग थे। जिनमें बम्बई राज्य के मोरारजी देसाई, पश्चिम बंगाल के बी० सी० राय, उत्तर-प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविन्द वल्लभ पंथ, पंजाब के प्रताप सिंह कैरो आदि। पंजाब के मुख्यमंत्री राम किसान ने सन् 1965 में

केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय सुरक्षा बल का विरोध किया व कर्नाटक के मुख्यमंत्री एस० निजलिंगप्पा ने मैसूर और महाराष्ट्र के सीमा सम्बन्धी विवाद को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रस्तावित 'हाईपावर कमीशन' को देने से इन्कार कर दिया। कांग्रेस दल में हाई-कमान प्रधान होता जब कांग्रेस सत्ता में होती है जब कांग्रेस सत्ता में होती तो हाई-कमान मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता। 1971 के लोकसभा चुनाव में श्रीमती इन्दिरा गाँधी को अपार सफलता मिलने पर केंद्र की बढ़ती हुई शक्ति ने केंद्र-राज्य विवादों को निर्जीव बना दिया। इन्दिरा गाँधी की इच्छा के कारण ही विधानसभा सदस्य न होने पर बिहार में केदार पाण्डे व अब्दुल गफूर, मध्य-प्रदेश में चन्द सेठी, उत्तर-प्रदेश हेमवती नन्दन बहुगुणा व गुजरात में घनश्याम ओझा को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलायी। सन् 1967 के चुनाव बाद देश की राजनीति ही नहीं बल्कि भारत का समस्त ढाँचा ही बिगड़ गया। अस्थिर राजनीति के पहले ही झटके में वैधानिक एवं प्रशासनिक सम्पूर्ण व्यवस्था पिघले मोम की तरह अपना अस्तित्व ही गवाँने लगी। विधायिका से लेकर न्यायपालिका तक अपना अस्तित्व खोने लगी तो राष्ट्रपति एवं राज्यपाल अपनी लक्ष्मण रेखाओं को पार कर अपनी मनमानी करने लगे। केंद्र-राज्य विवाद तीव्र हो गये प्रशासनिक अधिकारी, उच्चधिकारी सभी ने अपनी निष्ठाएँ तथा मर्यादाएँ ही बदल दी उनके कार्य विवाद का विषय बन गये ऐसा लगने लगा कि अब तक (1950 से 1967) तक हम राष्ट्र मंदिर में नहीं बल्कि जिनकी छाया में सोते रहे जो हवा के झोंके से ही बिखर गये। 1967 के बाद दल-बदल बड़े पैमाने पर होने लगा। जहाँ 1952 से 1967 तक 17 वर्षों 542 दल-बदल हुए तो 1967 के निर्वाचन बाद एक साल में ही 438 दल-बदल की घटनाएँ हुई। उत्तर-प्रदेश, बिहार, मैसूर, पंजाब, गुजरात दल-बदल के कारण कई सरकारें बनी और गिरी। उत्तर-प्रदेश के राजनीति 1967 के बाद जिस प्रकार कांग्रेस दल बिखराव व पतन की ओर बढ़ने लगा तो जाति एवं मजहब में

पड़कर राजनीति खण्ड-खण्ड हो गई जिसने सम्पूर्ण सत्ता पर अपना कब्जा कर लिया जातिवाद की राजनीति में फँसकर उत्तर-प्रदेश मात्र 13 वर्षों 1989 से 2002 तक 14 बार शासन सत्ता में फेर बदल हुआ। भारतीय राजनीति में कई ऐसे मोड़ आये हैं जिनमें गठबन्धन तो हुए सरकारें बनी परन्तु न तो ऐसी सरकारें अपना कार्यकाल पूरा कर पायीं और न ही गठबन्धन टिक पाया जहाँ इन्द्र कुमार गुजराल के मंत्रिमण्डल को 13 झगड़ती बिल्लियों का अखाड़ा बताया वहाँ 13वीं लोकसभा 1999 में गठित राष्ट्र जनतांत्रिक गठबन्धन, जो वर्ष 1999 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबन्धन का जो गठजोड़ बना, उसमें 24 दलों की साझा सरकार थी। एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ ने इस गठबन्धन का भारत में गठबन्धन का नया धर्म बताया।

मतदाता लोकतंत्र के भाग्य विधाता होते हैं पर जनता का मत पाने वाले ही जनता का भाग्य विधाता बन जाते हैं इसका मूल कारण जनता का अशिक्षित होना तथा अज्ञानता का होना है कि यदि जनता को जाग्रत कर उनके मत का मूल्य उनको बतला दिया जाए तो शायद मतदाता जाति मजहब से ऊपर उठकर अपने मत का प्रयोग करेंगे जिससे राजनीति में सुधार सम्भव होगा। जिस प्रकार दल-बदल का गन्दा खेल आज भी बकरार है भले ही उसने अपना दूसरा रूप धारण कर लिया है वह जनतंत्र के विकास एवं उसके भविष्य के लिए खतरनाक है जो दर्शकों से भारतीय राजनीति से व्याप्त हो गया है यदि यह रोग भारत ही नहीं बल्कि संसार के अन्य लोकतांत्रिक देशों में पाया जाता है भले ही उसके परिणाम भारतीय दल बदलुओं से कम घातक या अधिक घातक रहे हों। जनता भी अब उदासीन होने लगी है क्योंकि गरीब बेबस जनता को न्याय ही नहीं मिल पा रहा है सत्ता एवं राजनेताओं के आगे आम आदमी के साथ जबर्दस्ती वह अन्याय हो रहा है आज सरकार यदि गरीबों की मदद करती भी है तो यही बिचौलिये खा जाते हैं। राशन का सरकारी गल्ला हो या और कोई सरकार योजना। हर जगह जनता के साथ न इंसोफी हो रही है जो हर जगह अपनों को बिठाकर लूट प्रणाली कर रहे हैं जो हमारे समाज के लिए बहुत खतरनाक है। प्रादेशिक एवं स्थानीय दलों का उदय जन आन्दोलन से होता है। स्थानीय प्रादेशिक दल प्रत्येक लोकतांत्रिक देशों में है चाहे वह किसी रूप में हों। समय समय जब निर्वाचन प्रक्रिया होती है तो उसमें इतना राजनीतिक प्रदूषण फैला दिया जाता है जिससे लोकतंत्र रूपी शरीर सॉस सिसकने लगती है। जिसने प्रादेशिक व क्षेत्रीय दलों की भूमिका से इन्कार नहीं किया जा सकता है। प्रादेशिकता की भावना प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था के इतिहास देखी जा सकती है। राजनीतिक भावनाओं से प्रेरित ऐसे प्रादेशिक संगठन एकीकरण का नारा लेकर चलाये जाते हैं जिनका उद्देश्य एक सीमित क्षेत्र या प्रदेश के हित में होता है इन आन्दोलनों से ही संगठित होकर क्षेत्रीय राजनीतिक दल का उद्भव होता है जिन्हें प्रादेशिक एवं क्षेत्रीय जनता का समर्थन प्राप्त होता है। तीसरी दुनियाँ के लगभग सभी राज्यों में प्रादेशिक एकीकरण के तत्व पैदा हुए हैं। जिन्होंने राज्यों की राजनीति को एक हद तक काफी प्रभावित किया और जिनसे विकास का मार्ग अवरुद्ध हुआ है। एक विवेचनाकार ने क्षेत्रीय दलों के उद्भव एवं विकास का वर्णन करते हुए लिखा है कि अधिकांश क्षेत्र दल कांग्रेस से ही टूट कर उत्पन्न हुए हैं जिनमें उत्कल कांग्रेस, बांग्ला कांग्रेस, केरल कांग्रेस, फारवर्ड ब्लाक, रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय क्रांति दल, विशाल हरियाणा पार्टी और तेलंगाना प्रजा समिति इन सभी दलों संस्थापक कांग्रेस के नेता रहे हैं परन्तु कांग्रेस से असंतुष्ट होकर इन्होंने नवीन दलों की स्थापना की है।

चतुर्थ आम चुनाव 1967 के बाद भारतीय राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन जो आया वह प्रादेशिक दलों का उदय और राष्ट्र दल कांग्रेस की प्रभुता का अन्त होना पाया। शक्ति संतुलन राज्यों

की तरफ झुकने लगा। पंडित नेहरु के बाद मुख्यमंत्री शक्ति के पुंज बनने लगे और केंद्र सरकार का प्रभावित करने लगे। जिन राज्यों में प्रादेशिक दलों की सरकारें बनी वह सरकारें केंद्र के नियंत्रण उस सीमा में नहीं रहना चाहती थी। इन प्रादेशिक सरकारों ने सिर्फ कांग्रेस की प्रभुता को ही चुनौती नहीं दी बल्कि राज्य स्वायत्ता की मांग भी करने लगी जिनमें अकाली दल, द्रमुक, अन्ना द्रमुक व मार्क्सवादी पार्टी प्रमुख रही। इन प्रादेशिक दलों ने ही केंद्र-राज्य संघर्ष को जन्म दिया। व्यक्ति के अन्दर क्षेत्रीयता की भावना को तीव्र किया व राज्यों के आपसी सीमा विवाद एवं नदी और पानी विवादों को बढ़ोत्तरी हुई। तमिलनाडु और कर्नाटक कावेरी जल विवाद, मध्य-प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में नर्मदा जल विवाद एवं महाराष्ट्र तथा कर्नाटक और पंजाब तथा हरियाणा में सीमा विवाद स्मरणीय रहा है। एक सबसे अधिक पढ़े जाने वाले समाचार पत्र ने क्षेत्रीयता के सम्बन्ध में लिखा है कि भारत आजादी के लम्बे अर्से बाद भी उग्र क्षेत्रीयता व प्रादेशिकता की भावना को रोकने में नाकामयाब रहा क्योंकि भारत में जरा-जरा सी बात पर क्षेत्रीयता एवं प्रादेशिकता को दूषित खेल आज भी खेला जा रहा है।

इन प्रादेशिक दलों ने राज्य स्तर पर ही अपना प्रभाव नहीं दिखाया बल्कि केंद्र सरकार के बनाने एवं गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मोरारजी देसाई सरकार के पतन के बाद क्षेत्रीय दलों की प्रतिष्ठा एवं उपयोगिता में कुछ कमी आई परन्तु नब्बे के दशक में दलों की उपयोगिता एवं महत्ता में काफी वृद्धि हुई। इस दशक में तो केंद्रीय सरकार के गठन एवं पतन में भी प्रादेशिक दलों ने भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। उदाहरण स्वरूप श्री देव गौड़ा सरकार का गठन व श्री अटल बिहारी बाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली परन्तु प्रादेशिक दलों की भूमिका के कारण श्री अटल बिहारी बाजपेयी को लोकसभा में विश्वास मत पर बहुमत का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए अटल बिहारी बाजपेयी को 13 दिन के बाद ही 28 मई, 1996 को प्रधानमंत्री से त्यागपत्र देना पड़ा। इसके विपरीत प्रादेशिक दलों के संयुक्त मोर्चे के नेता श्री एच0 डी0 देव गौड़ा को 1 जून 1996 को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलायी जबकि वह संसद के किसी भी दल के सदस्य नहीं थे। इस दशक में स्थिति यह हो गई कि प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के सदस्यों का चयन केंद्र राजधानी दिल्ली में न होकर राज्यों की राजधानियों में होने लगा। वर्तमान शासन व्यवस्था भी प्रादेशिक दल अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। अटल बिहारी बाजपेयी ने सदन में क्षेत्रीय दलों के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए कहा कि भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की स्थिति आज इतनी महत्वपूर्ण हो गयी है कि कोई राष्ट्रीय दल प्रादेशिक दलों के बिना केंद्रीय स्तर स्थिर सरकार का निर्माण कभी नहीं कर पायेगा आज बिना प्रादेशिक दलों के सरकार बनाना सम्भव नहीं है परन्तु जब तक प्रादेशिक दल साथ नहीं आयेगे तब तक कोई रास्ता अथवा विकल्प नहीं निकल पायेगा परन्तु इन प्रादेशिक दलों की टेढ़ी चाल के आगे कैसे विकल्प निकाला जाए कि प्रादेशिक दल अपना हित त्याग कर देश हित में कार्य करें और राष्ट्रीय दलों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें।

प्रादेशिक दलों में तमिलनाडु राज्य में तमिलनाडु का क्षेत्रीय दल द्रविड़ मुन्नेत्र कडगम संगठन प्रादेशिक दलों में सबसे ज्यादा मजबूत है इसका विकास एवं उत्पत्ति जस्टिस दल एवं द्रविड़ कडगम से हुई जस्टिस पार्टी ब्राह्मण विरोधी, नीतियों के कारण अपना तीव्र विकास कर गई जस्टिस पार्टी 1921 में ही मद्रास राज्य में अपना बहुमत सिद्ध कर दिया। इसकी मूल जड़े जस्टिस पार्टी (दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ) में थी। 1938 में ई0 बी0 राधास्वामी नाईकर जो पेरियार के नाम से जाने जाते थे इस पार्टी के अध्यक्ष थे इन्होंने तमिल राजनीति को एक नया रूप देना चाहा वह द्रविड़स्तान नाम से एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना रहा। जस्टिस पार्टी के ई0 बी0 राधास्वामी नाईकर ने तमिल राजनीति को

नया रूप देकर तमिल, मद्रास, आंध्र-प्रदेश, मैसूर और द्रावण कोर कोचीन को मिलाकर अलग राष्ट्र द्रविणस्तान की मांग की। परन्तु जब 17वें संविधान द्वारा भारत राज्य से अलग होने की बात करना अपराध घोषित हो गया परन्तु तब यह दल भारतीय संघ में रहते हुए प्रांतीय स्वायत्ता की मांग करने लगा। डी० एम० के० अध्यक्ष करुणानिधि व कोषाध्यक्ष एम० जी० रामचन्द्र में मतभेद होने पर डी० एम० के० से अलग होकर रामचन्द्र ने अन्ना डी० एम० के नाम से 1972 में अलग दल का निर्माण किया। अन्ना डी० एम० के० 1972 के विधानसभा चुनाव में 130 स्थान प्राप्त किये व तमिलनाडु मंत्रिमण्डल का निर्माण किया। मई, 1980 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव दो गठबंधनों के बीच हुआ एक गठबंधन था कांग्रेस व डी० एम० के० जबकि दूसरा गठबंधन था अन्ना डी० एम० के० वामपंथी व अन्य छोटे दल अन्ना डी० एम० के० गठबंधन में तमिलनाडु में भारी सफलता प्राप्त कर अपनी सरकार का गठन किया। दोनों ही दलों की नीति एक समान ही है दोनों ही दल अन्ना द्रुमक व द्रुमुक केंद्र सरकार का साथ देते रहे हैं। तमिलनाडु राजकीय शासन सत्ता भी इन दोनों दलों अन्तर्गत घूमती रही है। सितम्बर, 1985 के लोकसभा चुनाव में अकाली दल को 13 स्थानों में से 7 स्थान प्राप्त हुए और विधानसभा चुनाव में अकाली दल को 115 में से 73 स्थान प्राप्त हुए। यह अकाली दल के लिए ऐतिहासिक सफलता थी। 1997 के विधानसभा चुनाव भा०ज०पा० अकाल गठबंधन में मिलकर लड़े। अकाली भा०ज०पा० गठबंधन को 117 सीटों में 93 सीटें प्राप्त हुई शिरोमणि अकाली दल को 15 सीटें मिली। अकाली भाजपा गठबंधन के नेतृत्व में श्री प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री बने आज भी पंजाब राज्य अकाली दल का प्रभुत्व माना जा सकता है। भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन में कांग्रेस के बाद किसी दल की सक्रिय भूमिका रही है तो वह दल है मुस्लिम लीग जिसकी स्थापना सन् 1906 में हुई। इसका निर्माण मुसलमानों द्वारा कांग्रेस की मांगों को कम करने तथा भारतीय हिन्दू एवं मुसलमानों की एकता में फूट डालने के लिए कराया था। 1947 में भारत-पाक विभाजन के बाद मुस्लिम लीग दल लगभग समाप्त ही हो गया। दक्षिण भारत के केरल और तमिलनाडु में इसका थोड़ा बहुत जनाधार बचा रहा।

केंद्र सरकार ने जब उड़ीसा, मध्य-प्रदेश व कर्नाटक सरकार से ईसाई विरोधी गतिविधियाँ रोकने को कहा तब स्वयं केंद्र सरकार इतने बड़े नर संहार पर यह सांत्वना देती रही कि हम बजरंग दल की गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं तथा उचित समय पर उचित कार्यवाही की प्रतीक्षा में है। केंद्र सरकार की इस कार्यवाही पर बजरंग दल के संस्थापक भा०ज०पा० के उग्रपंथी नेता ने केंद्र सरकार के पलटवार में कहा कि यदि केंद्र सरकार ने दल पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाया तो उसे अपनी करनी का फल मिलेगा। इन प्रादेशिक पार्टियों धमकी से ही केंद्र सरकार राज्य की छोटी एवं बड़ी घटनाओं को नजर अंदाज करती रही है क्योंकि केंद्र को इन प्रादेशिक दलों की वैशाखी के रूप में सहायता चाहिए। बाबरी मस्जिद के ध्वंस से लेकर गुजरात जैसे नरसंहार तक मैंने देखा कि भारत खुद अपने प्रादेशिक दलों की गतिविधियों से इतना दुखी हो गया है कि वह अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के साथ-साथ घरेलू आतंकवाद से भी जूझ रहा है कि बहुसंख्यकवाद आतंकवाद का साथी ही दिखाई पड़ता है। महाराष्ट्र का नवनिर्माण सेना (म०न०से०) के कार्यकर्ताओं ने 19 अक्टूबर, 2008 को मुम्बई में रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा के 13 केंद्रों पहुँचकर उत्तर भारतीय छात्रों को दौड़ा दौड़ाकर पीटा और रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने दिया जिसने भारतीय राजनीति वह मानवता पर एक कलंक लगा दिया। भारतीय संविधान में कोई भी व्यक्ति कहीं भी अपनी आजीविका के लिए काम कर सकता है कहीं पर भी निवास कर सकता है परन्तु शिवसेना और महाराष्ट्र नव निर्माण सेना ने इसके विपरीत कार्य किये। पुलिस के आला अधिकारियों को राजठाकरें ने

कहीं का नहीं छोड़ा। पुलिस मनोबल इस प्रकारण से जिस तरह टूटा सजा के तौर पर किसी भी गृहमंत्री की कुर्सी चली जाती। लेकिन तत्कालीन गृहमंत्री एस० आर० पाटिल कोई भी सफाई नहीं मांगी गई पुलिस के एक बड़े अधिकारी ने राजठाकरे का भूत उतारने के लिए बड़ी तुर्सी से कहा "मुम्बई इसके बाप की नहीं है" इस पर राजठाकरे ने जबाब दिया "वर्दी उतार कर सड़क पर आओं फिर बताता हूँ कि मुम्बई किसके बाप की है"। कोई कुछ नहीं बोला आखिर में अदालत में तमाम तरह की हिंसक गतिविधियों के बाद भी मनसे के राज ठाकरे को निर्दोष साबित कर दिया।⁷⁰ ठाकरे की गिरफ्तारी के बाद थाणे में हुई हिंसा में तीन लोगों की मौत हो गई जहाँ महाराष्ट्र में रेलवे की परीक्षा के दौरान हुई घटना से आक्रोशित हुए बिहार के छात्रों ने एक रेलवे स्टेशन दानापुर पर दुर्गा एक्सप्रेस ट्रेन के 5 डिब्बे में आग लगा दी तथा बिहार के कई अन्य स्टेशनों पर तोड़ फोड़ की गयी जिससे बिहार को जाने वाली कई ट्रेनें रद्द करना पड़ा तो दूसरी तरफ रत्नागिरी में जब राजठाकरे की गिरफ्तारी की गई तो मुम्बई के कई शहरों में हिंसा भड़क उठी सरकार की कडी निगरानी के बाद भी मनसे के कार्यकर्ताओं ने करीब 1500 करोड़ रुपये की सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाया।

भारतीय राजनीति को शुद्ध रूप देने के लिए सिर्फ किसी एक पार्टी या कुछ लोगों का दायित्व नहीं बल्कि भारत में निवास करने वाले प्रत्येक भारतीय, सरकार व राजनीतिक दलों सभी का योगदान होना चाहिए। आतंकवादी संगठन हो या धार्मिक संगठन जो संगठन या दल अनुचित कार्य करे ऐसे संगठनों को सरकार को तुरंत ही रोक लगाने की आवश्यकता है संगठन का उद्देश्य भारतीय राजनीति को खण्डित करना नहीं या लोगों के अन्दर भेद भाव द्वेष बढ़ाना नहीं बल्कि समाज सेवा करना होना चाहिए। जो संगठन या क्षेत्रीय राजनीतिक दल अपने मांगों को मनवाने के लिए हिंसात्मक तरीकों का प्रयोग करते हैं, सार्वजनिक या निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाते हैं ऐसे दल प्रादेशिक हो, या राष्ट्रीय। सार्वजनिक सम्पत्ति का नुकसान पहुँचाने वाले दल से उसकी भरपायी की आवश्यकता है। ताकि आने वाले समय में कोई भी दल सार्वजनिक सम्पत्ति को क्षति न पहुँचाये। मनसे ने लगभग 15 करोड़ की सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाया। ऐसे लोगों से भारतीय जनता को भी सावधानी की आवश्यकता है। प्रत्येक का उद्देश्य समस्त भारत के समस्त जनों का विकास होना चाहिए। जनता को किसी भी ढोंगी राजनीतिज्ञ के बहकावे में नहीं आना, भाषा धर्म क्षेत्रीयता के आधार पर वोट देने से बचने की जरूरत है। भारत समस्त भारतवासियों का है इसी एक राज्य, धर्म का नहीं, सभी भारतवासियों का उद्देश्य भारत हित हो, राज्य हित नहीं।

इस प्रकार मैंने अपने अध्ययन के मध्य यह देखा कि भारत को इन प्रादेशिक दलों ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुँचाया है चंद राज्यों को छोड़कर प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक दलों ने भारत के लिए समस्याएँ ही उत्पन्न की जाती हैं क्षेत्रवाद व भाषावाद तथा जातिवाद का जहर ही इन दलों ने घोला है। ऐसे प्रादेशिक दलों पर केंद्र का नियंत्रण आवश्यक है। महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक व मध्य-प्रदेश में प्रादेशिक दलों ने जहाँ भारतीय अखण्डता को चुनौती दी है वही कुछ राज्यों के विकास में प्रादेशिक दलों ने महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा की है। भारतीय दल व्यवस्था के साथ भारत की राजनीतिक प्रक्रिया जिस आवृत्त में प्रवेश कर रही है उसकी परिस्थितियों और चिन्तन की धारणाएँ पृथक तरह की हैं इनकी तुलना पश्चिमी मापदण्डों से करने से यहाँ की समस्याएँ का समाधान करना और भी कठिन हो जाता है। दल व्यवस्था की अनिवार्यता सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं पर लागू होती है। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में चाहे किसी प्रकार रूप हो वहाँ राजनीतिक दलों की उपस्थिति अनिवार्य है इस कारण दलीय

व्यवस्था को लोकतंत्र का प्राण कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. रंजन, सुधांशु जय प्रकाश नारायन, नेशनल बुक ट्रस्ट इन्डिया, नयी दिल्ली, वर्ष 2006
2. दत्त, रजनीपाम, आज का भारत विजय प्रकाशन, दिल्ली वर्ष 2000
3. जायसवाल, रामकृष्ण, भारतीयों राज्यों में शासन एवं राजनीति शान्ति प्रकाशन, फैजाबाद वर्ष 1947
4. दैनिक जागरण, 20 मई, 2005
5. शर्मा, यज्ञदत्त, संक्रमण कालीन राजनीति और लोकतंत्र संवैधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्थान, नयी दिल्ली, वर्ष 1972
6. अमर उजाला, मुरादाबाद से प्रकाशित, 26 नवम्बर 2002
7. घटाटे, ना0 भा0, अटल बिहारी बाजपेयी, गठबन्धन की राजनीति, प्रभात प्रकाशन, नयी दिल्ली, वर्ष 2007
8. गौतम, ब्रजेन्द्र प्रताप, भारत में लोकतंत्र का भविष्य संवैधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्थान, नयी दिल्ली, वर्ष 1972
9. सिंह, डॉ0 निशान्त, स्वजिल सारस्वत लोकतंत्र और चुनाव सुधार, राधा पब्लिकेशन्स, नयी दिल्ली, वर्ष 2007
10. गेना, सी0 वी0, तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक संस्थाएँ, वाणी एजुकेशन बुक्स विभाग, नयी दिल्ली, वर्ष 1985
11. मित्तल, नैमीशरण, भारतीय राजनीतिक दलों का भविष्य संवैधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्थान नयी दिल्ली, वर्ष 1972
12. दैनिक जागरण, मुरादाबाद से प्रकाशित, 23 नवम्बर 2003
13. घटाटे, ना0 भा0, अटल बिहारी बाजपेयी गठबन्धन की राजनीति, प्रभात प्रकाशन, नयी दिल्ली, वर्ष 2007
14. माथुर, रमेश नारायन, भारतीय राजनीति में प्रादेशिकता की भावना, संवैधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्थान, नयी दिल्ली, वर्ष 1972
15. पाण्डेय, डॉ0 जय नारायन, भारत का संवैधानिक, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी इलाहाबाद, वर्ष 2009